	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	अग्रहायण 27, शुक्रवार, शाके 1942–दिसम्बर 18, 2020 Agrahayana 27, Friday, Saka 1942-December 18, 2020	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 18, 2020

जी.एस.आर.231 :-राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 36) की धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं .- (1) इन नियमों में,जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) ''अधिनियम'' से राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 36) अभिप्रेत है;

(ख) ''प्ररूप'' से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(ग) ''राज्य सरकार'' से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है; और

(घ) ''अनुसूची''से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में समनुदेशित किया गया है।

3. पुनर्वास गृह में भर्ती- (1) पुनर्वास गृह में भर्ती वास-सुविधा और सुविधाओं की उपलब्धता के अध्यधीन की जायेगी।

(2). यदि कोई व्यक्ति, अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (3) के अधीन अधिसूचित क्षेत्र के भीतर भिक्षावृत्ति करते पाया जाता है और अधीक्षक, पुनर्वास गृह के समक्ष लाया जाता है या स्वयं प्रस्तुत होता है और अधीक्षक की यह राय है कि उस व्यक्ति के पास भिक्षावृत्ति के सिवाय आजीविका का कोई और स्रोत नहीं है या वह व्यक्ति निर्धन है और पुनर्वास गृह में निवास के लिए इच्छुक है तो, वह तुरंत उसे पुनर्वास गृह में भर्ती करेगा। अधीक्षक, किसी अंतः वासी की भर्ती की सूचना ऐसी भर्ती के 24 घण्टों के भीतर-भीतर पुनर्वास अधिकारी को देगा।

(3) पुनर्वास गृह का अधीक्षक, भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों के रूप में पुनर्वास गृह में भर्ती किये गये समस्त व्यक्तियों का एक रजिस्टर प्ररूप-1 में संधारित करेगा। भर्ती के समय जेवर, नकदी और अन्य सामानों की विशिष्टयां प्ररूप-1 में प्रविष्ट की जायेंगी और अधीक्षक द्वारा उसे अभिरक्षा में लिया जायेगा।

4. वास-सुविधा, भोजन और वस्त्र का पैमाना.- (1) पुनर्वास गृह में भर्ती किये गये अंतः वासी को पैमाने और जलवायु की दशा के अनुसार वस्त्र, बिस्तर, बर्तन, साबुन, बालों में लगाने का तेल आदि प्रदत्त किये जायेंगे।

(2) 100 भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों वाले किसी पुनर्वास गृह के लिए वास-सुविधा निर्मित करने के लिए मानक साधारणतः निम्नानुसार होंगेः

क्र.सं.	इकाई	न्यूनतम क्षेत्र
1.	4 शयनागार	4000 वर्ग फीट (प्रत्येक 25 अंतः वासियों के लिए अनुमानित रूप से 1000 वर्ग फीट)
2.	रोगी कक्ष/प्राथमिक उपचार कक्ष	500 वर्ग फीट
3.	रसोई	250 वर्ग फीट
4.	भोजन कक्ष	800 वर्ग फीट
5.	भंडार	250 वर्ग फीट
6.	10 स्नानघर	250 वर्ग फीट
7.	10 प्रसाधन/शौचालय	250 वर्ग फीट
8.	कार्यालय कक्ष	250 वर्ग फीट अधीक्षक का कक्ष 200 वर्ग फीट
9.	परामर्श/मार्गदर्शन और निराव्यसन	250 वर्ग फीट
	कुल	6800 वर्ग फीट

परन्तु छोटी इकाइयों/किराये की वास-सुविधा/अस्थाई इकाइयों के लिए समायोजन आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अनुज्ञा से किया जा सकेगा।

(3) पुनर्वास गृह में भर्ती किये गये प्रत्येक अंतः वासी के लिए वस्त्र और बिस्तर, पैमाने और जलवायु दशाओं के अनुसार होंगे। प्रत्येक अंतः वासी के लिए आवश्यकता के न्यूनतम मानदण्ड अनुसूची-1 के अनुसार होंगे।

(4) अंतः वासियों को नाश्ते सहित दिन में तीन बार भोजन प्रदान किया जायेगा।

5. पुनर्वास गृहों की स्थापना के लिए प्रक्रिया.- (1) पुनर्वास गृहों को मान्यताप्राप्त सेवा संगठनों या गैर सरकारी संगठनों द्वारा स्थापित किया जायेगा। वे पुनर्वास गृहों के रख-रखाव के लिए और भोजन, वस्त्र, उपचार, निराव्यसन, व्यावसायिक प्रशिक्षण और अंतः वासियों के पुनर्वास पर उपगत व्ययों के लिए राज्य सरकार या भारत सरकार से सदायता अनुदान के लिए आवेदन कर सकेंगे।

(2) पुनर्वास गृह स्थापित करने की वांछा रखने वाला कोई सेवा संगठन, अपना आवेदन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार के जिला स्तर के अधिकारी की सिफारिश के साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार को भेजेगा। मान्यता के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे,-

(i) संगठन के संविधान की एक प्रति;

(ii) संगठन के प्रबंध बोर्ड/शासी निकाय इत्यादि का नाम और पूर्ण विशिष्टियां;

(iii) संगठन की नवीनतम उपलब्ध वार्षिक रिपोर्ट;

(iv) अन्य निकाय जैसे केन्द्रीय या राज्य सरकार के भागों, स्थानीय निकायों इत्यादि से प्राप्त, वचनबद्ध अनुदानों को सम्मिलित करते हुए वर्ष जिससे आवेदन संबंधित है की अनुमानित आय और व्यय को दर्शित करने वाला एक विस्तृत बजट;

(v) संगठन /संस्था के लेखों का किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट/सरकारी संपरीक्षक द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष के लिए प्रमाणित सपरीक्षित कथन; और

(vi) विदेशी अभिदाय, यदि कोई हो, और पिछले तीन वर्ष के दौरान आस्तियों के ब्यौरे सम्मिलित करते हुए आय का स्रोत उपदर्शित करने वाला संक्षिप्त टिप्पण। इस टिप्पण में, संगठन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किये गये क्रियाकलापों का ब्यौरा जिसमें प्रतिबंध और मादक द्रव्य दुरुपयोग के निवारण को सम्मिलित करते हुए आवरित क्षेत्र/स्थान और उपगत व्यय के बारे में ब्यौरा सम्मिलित हो, दिया जायेगा।

(3) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मान्यताप्राप्त सेवा संगठन या गैर सरकारी संगठन से प्राप्त प्रत्येक आवेदन को रजिस्टर करेगा और संवीक्षा करेगा और यदि आवश्यक समझा जाये तो उसमें किसी स्पष्टीकरण की मांग या उसमें उपान्तरण के सुझाव देगा।

6.आयुक्त की शक्तियां और कृत्य.- (1) अधिनियम के अधीन विहित शक्तियों और कृत्यों के अतिरिक्त आयुक्त की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्:-

(i) पुनर्वास गृहों को मानीटर करना और मान्यताप्राप्त सेवा संगठन को समय-समय पर दिये गये आदेशों और अनुदेशों की अनुपालना चाहना;

(ii) सेवा संगठनों को मान्यता देना और मान्यता समाप्त करना;

(iii) सेवा संगठन और जिला स्तरीय समितियों के कार्यकरण और नियन्त्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाना;

(iv) पुनर्वास गृहों का समय-समय पर निरीक्षण करना और उनके लिए मानिटरिंग संरचना का निर्माण;

(v) साधारण या विशेष तौर पर पुनर्वास गृह की प्रगति और अंतः वासियों के कल्याण के संबंध में किसी अन्य मामले पर विचार करना; और

(vi) राज्य सरकार द्वारा भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित समय-समय पर समनुदेशित ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग या ऐसे कृत्यों का निर्वहन करना।

7. पुनर्वास अधिकारी की शक्तियां और कृत्य.- (1) अधिनियम के अधीन विहित शक्तियों और कृत्यों के अतिरिक्त पुनर्वास अधिकारी की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्:-

(i) जिला स्तर या शहर स्तर पर अधिनियम का प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करना;

(ii) भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों के संरक्षण और पुनर्वास पर इन्टर-सेक्टरल लिंक बनाने के लिए सभी सरकारी विभागों के साथ समन्वय करना;

(iii) जिले में सभी पुनर्वास गृहों का पर्यवेक्षण और मानिटर करना;

(iv) भिखारियों और निर्धन व्यक्तियों का प्रभावी पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए जिले के गैर-सरकारी संगठनों और नागरिकों के साथ समन्वय करना; और

(v) ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना जो आयुक्त द्वारा समय-समय पर समनुदेशित किये जायें।

(2) पुनर्वास अधिकारी, आयुक्त को जिले के पुनर्वास गृहों में किये गये समस्त क्रियाकलापों की प्रगति की तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

8. अधीक्षक के कर्तव्य.- सरकार द्वारा समय-समय पर समनुदेशित शक्तियोंऔर कर्तव्यों के अतिरिक्त, अधीक्षक,-

(i) पुनर्वास गृहों के अंतः वासियों की भर्ती, देखभाल, अभिरक्षा, संरक्षण, उपचार, प्रशिक्षण और सामान्य कल्याण के लिए उत्तरदायी होगा;

(ii) अंतः वासियों के लिए और उनके अच्छे अनुशासन और प्रशिक्षण तथा पुनर्वास प्रयासों के दक्षतापूर्ण कार्य के लिए उत्तरदायी होगा;

(iii) पुनर्वास गृहों के समस्त कार्यों के प्रबंधन और सामान्य पर्यवेक्षण जिसमें कर्मचारिवृंद का पर्यवेक्षण, लेखों और वित्तीय संव्यवहारों का संधारण, वस्त्र, भोजन, भंडारों, अंतः वासियों की निजी सम्पति के लेखे आदि सम्मिलित हैं, के लिए उत्तरदायी होगा;

(iv) अंतः वासियों के अच्छे स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा;

(v) कार्य नियोजन और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से अंतः वासियों के सामाजिक और व्यावसायिक पुनर्वास, साथ ही मादक द्रव्य उपभोगकर्ताओं के लिए निराव्यसन योजना को सम्मिलित करते हुए अंतः वासियों की संतानों के लिए शैक्षिक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित करेगा;

(vi) विहित पैमाने के अनुसार और स्वीकृत अनुदान के और विशिष्टतया अंतः वासियों की वास्तविक पुनर्वास आवश्यकताओं के अनुरूप अंतः वासियों के उचित आहार और वस्त्र के लिए उत्तरदायी होगा; और

(vii) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो आयुक्त, पुनर्वास द्वारा समय-समय पर समनुदेशित किये जाएं।

9. रजिस्टरों का संधारण.- पुनर्वास गृहों का प्रभारी अधिकारी अपने कार्यालय में निम्नलिखित रजिस्टर और प्ररूप संधारित करेगा, अर्थात्:-

(i) कर्मचारिवृंद का उपस्थिति रजिस्टर;

(ii) अंतः वासियों की भर्ती और निजी सामान का रजिस्टर;

(iii) साधारण क्रम पुस्तिका;

(iv) पुनर्वास योजना, निराव्यसन योजना की तैयारी और उसके कार्यान्वयन में उठाये गये कदम के संबंध में व्यष्टिक अंतः वासी का अभिलेख;

(v) रोकड़ बही ;

(vi) बैठक पुस्तिका ;

(vii) स्टॉक रजिस्टर ;

(viii) कर्मचारिवृंद का संचलन रजिस्टर; और

(ix) लॉग बुक।

10. आगंतुक पुस्तिका.- पुनर्वास गृह में एक आगंतुक पुस्तिका रखी जायेगी। आगंतुक परिदर्शन के पूर्ण होने पर आगंतुक पुस्तिका में उसके निष्कर्ष, अभ्युक्तियां और सुझाव अभिलिखित कर सकेगा/सकेगी।

11. सेवा संगठन की मान्यता के लिए मानदण्ड और मानक.- (1) सेवा संगठन,-

(क) सुसंगत विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक सोसाइटी होगा; या

(ख) तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई लोक न्यास होगा; या

(ग) कोई पूर्त कपंनी होगा; या

(घ) स्थानीय शासन संस्था या किसी पंचायतीराज संस्था को सम्मिलित करते हुए किसी स्थानीय निकाय द्वारा प्रबंधित कोई संगठन होगा।

(2) मान्यता के लिए कोई सेवा सगंठन,-

(क) अधिनियम और इन नियमों में अधिकथित देखभाल के मानकों को पूरा करेगा;

(ख) अधिनियम और इन नियमों में अधिकथित देखभाल के मानकों को पूरा करने की क्षमता रखता हो;

(ग) भिखारियों और निर्धन व्यक्तियों की भर्ती, देखभाल और संरक्षण के लिए मूलभूत सेवाएं उपलब्ध करवाने की क्षमता रखता हो;

(घ) भिखारियों और निर्धन व्यक्तियों के प्रति किसी भी प्रकार की क्रूरता या शोषण या उपेक्षा से निवारित करेगा;

(ड.) सक्षम प्राधिकारी और राज्य सरकार के आदेशों का पालन करेगा;

(च) तीन वर्ष की कालावधि के लिए अस्तित्व में रहेगा; और

(छ) समुचित रूप से गठित प्रबन्ध निकाय होगा जिसकी शक्तियां, कर्तव्य और उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से परिभाषित होंगे और एक लिखित संविधान में अधिकथित होंगे।

(3) राज्य सरकार ऐसी जांच जो वह आवश्यक समझे करने के पश्चात् संगठन को इस शर्त पर मान्यता प्रदान कर सकेगी कि वह भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का समुचित ग्रहण, भरण-पोषण, उपचार, प्रशिक्षण, शिक्षा, मादक द्रव्य व्यसनी का निराव्यसन और पुनर्वास उपलब्ध करवायेगा और राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये नियमों और अनुदेशों का पालना करेगा।

(4) आयुक्त, सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, किसी संगठन को उप-नियम (3) के अधीन प्रदान की गयी मान्यता प्रत्याहृत कर सकेगा।

12. पुनर्वास गृह का अनुशासन और प्रबन्धन.- पुनर्वास गृह में भर्ती कोई भी व्यक्ति,-

(i) उसके लिए व्यवस्थित या आदेशित किसी प्रशिक्षण को प्राप्त करने से या उसे आबंटित कोई कार्य करने से इंकार नहीं करेगा;

(ii) संस्था के किसी भाग में किसी अशिष्ट कार्य का कोई न्यूसेन्स नहीं करेगा या समुचित स्वच्छता के लिए जारी किन्ही आदेशों की पालना से इंकार नहीं करेगा;

(iii) उसकी निजी, वस्त्र, बिस्तर, बर्तन या अन्य किसी वस्तु की सफाई को विनियमित करने वाले किसी आदेश की अवज्ञा नहीं करेगा/करेगी;

(iv) प्रतिबंधित वस्तु, मादक पदार्थ, शराब इत्यादि या अधीक्षक द्वारा यथा विहित कोई अन्य प्रतिबंधित वस्तु प्राप्त नहीं करेगा या नहीं रखेगा या ग्रहण नहीं करेगा; और

(v) किसी अधिकारी को उसके कर्तव्य निष्पादन के प्रति विरोध या बाधित नहीं करेगा या किसी अधिकारी के किसी विधिपूर्ण आदेश की पालना से इंकार नहीं करेगा या उसका लोप नहीं करेगा या किसी अधिकारी के कार्य या कर्तव्यों का निर्वहन करने से इंकार नहीं करेगा या

निर्वहन का लोप नहीं करेगा या कार्य या कर्तव्यों का उस प्रयोजन के लिए उपदर्शित रीति में निर्वहन करने से इंकार या लोप नहीं करेगा।

13. प्रतिबंधित वस्तुएं.- कोई भी व्यक्ति पुनर्वास गृह में निम्नलिखित प्रतिबंधित वस्तुएं नहीं लायेगा, अर्थात्ः-

(i) प्रत्येक प्रकार का अल्कोहल और स्पिरिट;

(ii) भांग, गांजा और अफीम या अन्य स्वापक या मनः प्रभावी पदार्थ;

(iii) सुपारी/गुटखा/तम्बाकू इत्यादि;

(iv) प्रत्येक प्रकार का मादक पदार्थ;

(v) अग्नि उत्पादन के लिए माचिस और सामग्रियां;

(vi) उपहति कारित करने में सक्षम कोई भी उपकरण; और

(vii) अधीक्षक द्वारा इस निमित्त किसी विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य कोई वस्तु।

14. भिखारी और निर्धन व्यक्ति कल्याण निधि.- (1) अधिनियम के उपबंधों के अधीन भिखारियों और निर्धन व्यक्तियों के कल्याण और पुनर्वास के लिए राज्य सरकार अधिनियम की धारा 27 के अधीन राज्य स्तर पर राजस्थान भिखारी और निर्धन व्यक्ति कल्याण निधि के नाम से एक निधि, जिसे इसमें इसके नीचे निधि के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, का सृजन करेगी।

(2) निधि का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जायेगा,-

(क) भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों के कल्याण और पुनर्वास के कार्यक्रमों, जिसमें उनके स्थायी पुनर्वास के लिए औजार, मशीनरी इत्यादि का क्रय सम्मिलित है, को कार्यान्वित करने के लिए;

(ख) सेवा संगठनों को सदायता अनुदान के संदाय के लिए;

(ग) राज्य सलाहकार बोर्ड के व्ययों की पूर्ति के लिए; और

(घ) समस्त अन्य कार्य करने के लिए जो उसके उपरोक्त प्रयोजनों के लिए आनुषंगिक और आवश्यक हैं।

(3) निधि का प्रबन्धन और प्रशासन राज्य सलाहकार बोर्ड के नियन्त्रणाधीन होगा।

(4) निधि की अस्तियों में राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित अन्य किसी कानूनी या अकानूनी निकाय से प्राप्त समस्त आवर्ती या अनावर्ती अनुदान और अंशदान, साथ ही किसी व्यक्ति या संगठन से प्राप्त स्वैच्छिक दान, सम्मिलित होंगे।

(5) सभी आहरण, सचिव एवं कोषाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित चैक या, यथास्थिति, अध्यपेक्षा द्वारा किये जायेंगे और पच्चीस हजार रुपये से अधिक के मामले में चैक, सचिव एवं कोषाध्यक्ष तथा राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले प्रबंध बोर्ड के सदस्य द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित किये जायेंगे।

(6) निधि के प्रशासन के सबंध में किसी प्रकार के विनिश्चय या स्पष्टीकरण के संबंध में आयुक्त अन्तिम प्राधिकारी होगा।

15. निधि के लेखे और संपरीक्षा की रीति.- (1) राजस्थान भिखारी और निर्धन व्यक्ति कल्याण निधि के समस्त धन और सम्पत्तियों तथा आय और व्ययों का एक नियमित लेखा रखा जायेगा तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट की किसी अधिसूचित फर्म या बोर्ड द्वारा नियुक्त किये जाने वाले किसी अन्य मान्यताप्राप्त प्राधिकारी द्वारा संपरीक्षित किया जायेगा।

(2) संपरीक्षक, निधि में से आयुक्त द्वारा किये गये व्ययों को भी प्रमाणित करेगा।

(3) यह सुनिश्चित करने के लिए कि निधि का उपयोग भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों के पुनर्वास के लक्ष्य और उद्देश्य के लिए हो रहा है, आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी निधि के उचित उपयोग की रिपोर्ट करने के लिए आन्तरिक संपरीक्षक नियुक्त कर सकेगा।

16. दान को प्राप्त करने की रीति.- (1) लोक या अन्य किसी गैर-सरकारी संगठन/निगमित सामाजिक रूप से उत्तरदायी सगंठन (सी.एस.आर.) इत्यादि के सदस्यों द्वारा निधि को नकद/चैक/वस्तु (विशेषतः माल, वस्त्र इत्यादि) के रूप में किये गये दान या अंशदान को स्वीकार करने के लिए आयुक्त प्राधिकृत होगा।

(2) भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों की देखभाल के लिए राज्य सरकार के साथ किसी करार के अनुसरण में प्राप्त रकम निधि में जमा की जायेगी।

(3) वस्तु रूप में दान वहां तक अनुज्ञेय होगा जहां तक वह वैध, उचित, न्यायसगंत हो और राज्य सरकार की लोक नीति के विरुद्ध न हो।

17. एक पुनर्वास गृह से दूसरे में स्थानान्तरण.- (1) आयुक्त, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए यह निदेश दे सकेगा कि किसी पुनर्वास गृह में भर्ती किसी व्यक्ति को दूसरे पुनर्वास गृह में स्थानान्तरित किया जाये, अर्थात्:-

(i) प्रत्येक ऐसा निदेश आवास की उपलब्धता को सम्यक् रूप से ध्यान में रखते हुए जारी किया जायेगा;

(ii) ऐसा कोई निदेश जारी नहीं किया जायेगा, सिवाय,-

(क) चिकित्सा अधिकारी की किसी रिपोर्ट पर जो ऐसे व्यक्ति की चिकित्सीय या स्वास्थ्य आधारों पर स्थानान्तरण की सिफारिश करती है, या

(ख) अधीक्षक की कोई रिपोर्ट जो संस्था के अंतः वासी के हित में या अन्य कारणों के लिए जो वह उचित समझे, स्थानान्तरण की सिफारिश करे।

(2) पुनर्वास अधिकारी, किसी व्यक्ति का किसी पुनर्वास गृह में स्थानांतरण का निदेश, ऐसे गृह के संबंध में आयुक्त द्वारा किये गये किसी करार के निबंधन के उल्लंघन में नही देगा।

18. पुनर्वास गृहों के अंतः वासियों को अल्प अनुपस्थिति की मंजूरी .- पुनर्वास गृह खुले गृह हैं और अंतवासियों को ठहरने के लिए बाध्य करने की अनिवार्यता नहीं है। अतः अधीक्षक, कारण बताये जाने पर, किसी अंतः वासी को किसी घरेलू कार्य से उसके माता-पिता या रिश्तेदारों से मिलने के प्रयोजनार्थ किसी कालावधि के लिए अनुपस्थिति की अनुज्ञा दे सकेगा। तथापि, प्रयास ऐसा होना चाहिए कि पूर्ण निराव्यसन और किसी कौशल में ऐसा प्रशिक्षण सुनिश्चित करे कि भिखारी स्वयं आत्मनिर्भर बन सकें।

19. भिखारियों और निर्धन व्यक्तियों के सर्वेक्षण की रीति.- भिखारियों और निर्धन व्यक्तियों का सर्वेक्षण, आयुक्त, पुनर्वास द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में समय-समय पर संचालित किया जायेगा।

20. राज्य सलाहकार बोर्ड की गणपूर्ति.- राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक के लिए गणपूर्ति कुल संख्या का एक तिहाई होगा। अध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करेगा। यदि अध्यक्ष किसी बैठक में अनुपस्थित हो तो उपस्थित सदस्य उनमें से किसी एक सदस्य को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए निर्वाचित करेंगे। सचिव द्वारा बोर्ड की बैठक के लिए कम से कम सात स्पष्ट दिवस का नोटिस दिया जायेगा। तथापि, अति आवश्यक बैठकें अध्यक्ष की अनुज्ञा से अल्प अवधि के नोटिस पर की जा सकेंगी।

21. वास की कालावधि.- (1) आयुक्त की अनुज्ञा के बिना किसी भी व्यक्ति को किसी पुनर्वास गृह में दो वर्ष से अधिक रहने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(2) जहां यह पाया जाता है कि किसी पुरुष अंतः वासी को पुनर्वास गृह में दो वर्ष से अधिक वास के लिए अनुज्ञात किया जाना चाहिए, वहां अधीक्षक उस मामले को आवश्यक ब्यौरों और सिफारिशों सहित आयुक्त को निर्दिष्ट करेगा। आयुक्त का विनिश्चय अंतिम होगा।

(3) किसी महिला अंतः वासी को तीन वर्ष से अनधिक की किसी कालावधि या जब तक किसी विशिष्ट व्यापार या वृत्ति का प्रशिक्षण पूर्ण न हो जाए तब तक के लिए, पुनर्वास गृह में वास के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा। यदि यह पाया जाता है कि किसी महिला अंतः वासी को पुनर्वास गृह में तीन वर्ष से अधिक वास के लिए अनुज्ञात किया जाना चाहिए तो अधीक्षक मामले को आवश्यक ब्यौरों और सिफारिशों सहित आयुक्त को निर्दिष्ट करेगा।

(4) यदि पुनर्वास गृह के किसी अंतः वासी को कोई नौकरी या नियोजन मिल गया है तो उसे आयुक्त की अनुज्ञा से पुनर्वास गृह में दो माह से अनधिक की किसी कालावधि के लिए वास जारी रखने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।

22. जिला स्तरीय समिति का गठन.- (1) जिला स्तरीय समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्-

1.	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2.	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
4.	नगर निगम/नगर परिषद्/नगरपालिका का मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी	सदस्य
5.	जिला नियोजन अधिकारी	सदस्य
6.	मान्यताप्राप्त सेवा संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिला कलक्टर द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाने वाले दो व्यक्ति, उनमें से एक महिला होगी।	सदस्य
7.	संबंधित जिले का पुनर्वास अधिकारी/जिला परिवीक्षा एवं सामाजिक कल्याण अधिकारी/जिला परिवीक्षा अधिकारी पदेन सदस्य-सचिव होगा जो जिला कलक्टर द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।	सदस्य-सचिव

(2) नामनिर्दिष्ट सदस्य, नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि और ऐसी अतिरिक्त कालावधि, यदि कोई हो, जो आयुक्त द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट की जाए, के लिए पद धारित करेंगे।

(3) किसी नामनिर्दिष्ट सदस्य को आयुक्त द्वारा किसी भी समय कोई कारण दिये बिना पर्यवसित किया जा सकेगा।

(4) कोई नामनिर्दिष्ट सदस्य उसकी पदावधि समाप्त होने पर पुनः नामनिर्दिष्ट किये जाने का पात्र होगा।

(5) नामनिर्दिष्ट सदस्यों में से कोई रिक्ति किसी अन्य नामनिर्दिष्ट के नामनिर्देशन द्वारा भरी जायेगी, जो तब तक पद धारित करेगा/करेगी जब तक कि यदि रिक्ति नहीं हुई होती तो, वह व्यक्ति जिसके स्थान पर उसे नामनिर्दिष्ट किया गया है धारित करता/करती।

(6) नामनिर्दिष्ट सदस्य बैठक में उपस्थित होने के लिए की गयी यात्रा के लिए यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते तथा पुनर्वास गृह के दौरे के लिए प्रतिकरात्मक भत्ते के संदाय का ऐसी दर पर जो आयुक्त द्वारा समय-समय पर नियत की जायें, हकदार होगा।

23. पुनर्वास गृह में भर्ती किये गये व्यक्तियों की स्वच्छता और चिकित्सीय परीक्षा.- (1) पुनर्वास गृह में भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, -

(क) (i) किसी प्रारंभिक चिकित्सीय परीक्षा और ऐसी चिकित्सीय ड्रेसिंग, जो चिकित्सा अधिकारी की राय में आवश्यक हो, करायेगा;

(ii) शरीर के किसी भी भाग पर के बालों की ऐसी ट्रिमिंग या शेविंग करायेगा जो चिकित्सा अधिकारी की राय में चिकित्सा उपचार देने या स्वच्छता और स्वास्थ्य बनाये रखने के लिए आवश्यक हो;

(iii) ऐसी सामग्री से, जो प्रदान की जाये, शरीर की सम्पूर्ण सफाई और धुलाई करवायेगा और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वस्त्रों को पूर्णतः हटाये जाने के लिए तैयार रहेगा।

(ख) ऐसे वस्त्र पहनेगा जो अधीक्षक द्वारा प्रदत्त किये जायें।

(2) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, चिकित्सा अधिकारी अधिनियम की धारा 35 के उपबन्धों के अनुसरण में किसी व्यक्ति का सावधानीपूर्वक और पूर्णतया परीक्षण करेगा और वह,-

(i) उसके परीक्षण के परिणाम को, यदि वह व्यक्ति स्वस्थ है तो, प्ररूप-11 में और यदि उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो, प्ररूप- 111 में अभिलिखित करेगा;

(ii) संबधित व्यक्ति की हिस्ट्री शीट में ऐसे अभिलेख की एक प्रति रखेगा; और

(iii) उसके परीक्षण के परिणाम की रिपोर्ट अधीक्षक को देगाः

परन्तु किसी महिला अंतः वासी का परीक्षण केवल किसी महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा पुनर्वास गृह के महिला अनुभाग में ही किया जायेगा।

24. कतिपय मामलों की आयुक्त को रिपोर्ट देना.- अधीक्षक, अंतः वासियों द्वारा नियमों की अनुपालना और साथ ही निराव्यसन तथा प्राप्त प्रशिक्षण इत्यादि की प्रगति की मासिक सूचना आयुक्त को देगा।

अनुसूची-1

(नियम 4(3) देखिए)

वस्त्र, बिस्तर, प्रसाधन सामग्री और अन्य वस्तुएं

प्रत्येक अंतः वासी को निम्न्नलिखित वस्तुएं प्रदान की जायेंगीः -

बिस्तर

क्र.सं.	वस्तु	प्रति अंतः वासी को प्रदान किया जाने वाला परिमाण
1	तौलिया	प्रति वर्ष 2
2	सूती चादर	प्रति वर्ष 2
3	तकिया (रूई भरे हुए)	2 वर्ष में 2
4	तकिये का गिलाफ	2 वर्ष में 4
5	ऊनी कंबल	2 वर्ष में 2
6	सूती दरी	2 वर्ष में 2
7	गद्दा	2 वर्ष में 1

महिला अंतः वासियों के लिए वस्त्र

क्र.सं.	वस्तु	प्रति अंतः वासी को प्रदान किया जाने वाला परिमाण
1	सलवार सूट या ब्लाउज और पेटिकोट सहित साड़ी	प्रति वर्ष 4 सेट
2	ब्रैजीअर	प्रति वर्ष 4
3	पैंटी	प्रति वर्ष 8
4	सैनिटरी तौलिया	प्रति वर्ष 12 पैक
5	ऊनी शॉल	2 वर्ष में 2
6	ऊनी स्वेटर	2 वर्ष में 1
7	दुपट्टा/ आधी साड़ी	प्रति वर्ष 2

पुरूष अंतः वासियों के लिए वस्त्र

क्र.सं.	वस्तु	प्रति अंतः वासी को प्रदान किया जाने वाला परिमाण
1	कमीज	प्रति वर्ष 4 सेट
2	पैंट	प्रति वर्ष 4 सेट
3	बनियान	प्रति वर्ष 4 सेट
4	अण्डरवियर	प्रति वर्ष 4 सेट
5	ऊनी जर्सी	2 वर्षमे 2

विविध वस्तुएं

क्र.सं.	वस्तु	प्रति अंतः वासी को प्रदान किया जाने वाला परिमाण
1	चप्पल	प्रति वर्ष 1 जोड़ी
2	जूते	प्रति वर्ष 1 जोड़ी

प्रसाधन सामग्री

क्र.सं.	वस्तु	प्रति अंतः वासी प्रदान किया जाने वाला परिमाण
1	बालों में लगाने का तेल	प्रति माह 200 मिली लीटर
2	नहाने का साबुन	प्रति माह 2 बड़ी बार
3	टूथ पेस्ट और ब्रश	प्रति 1 माह 1 ब्रश, प्रति माह 80 ग्राम पेस्ट
4	कंधा	प्रति वर्ष 2
5	धोने का साबुन	प्रति माह 2 साबुन 125 ग्राम

प्ररूप - I

(नियम-3 देखिए)

भर्ती का रजिस्टर

1	2	3	4	5	6	7			8	
क्र.सं.	अंतः वासी का नाम और पता पिता/पति के नाम सहित	भर्ती की दिनांक और समय	जाति/ धर्म और लिंग	आयु	भर्ती का स्रोत	शारीरिक समर्थता के ब्यौरे			नकद/ अन्य मूल्यवान वस्तुओं की विशिष्टियां और मूल्य	
						1	2	3	1	2
						ऊंचाई	वजन	पहचान	अंत: वासी का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान	अधीक्षक / सहायक अधीक्षक के अनुप्रमाणन हस्ताक्षर और दिनांक

प्ररूप -II

(नियम 23 देखिए)

चिकित्सीय परीक्षण पर्ची

नाम.................................आयु..............................रजिस्ट्रीकरण सं. ....
लिंग...वजन.......................................ऊंचाई..
....
पहचान चिह्न...स्वास्थ्य की सामान्य स्थिति
....
......................................संस्था पर कार्य के लिए उपयुक्त है।
अभ्युक्तियां यदि कोई हों,...
दिनांक.......................................

चिकित्सा अधिकारी की मुद्रा और हस्ताक्षर

प्ररूप -III

(नियम 23 देखिए)

चिकित्सीय परीक्षण पर्ची

नाम...आयु................रजिस्ट्रीकरण सं. ....
लिंग..वजन......................................ऊंचाई...............................पहचान
चिह्न...
....(बीमारी) से ग्रस्त है।

दिनांक......................................

चिकित्सा अधिकारी की मुद्रा और हस्ताक्षर

[सं.एफ.15( )एस एस/बैगर्स/एसजेईडी/20......,]

राज्यपाल के नाम और आदेश से,

गायत्री राठौड़,

शासन सचिव।